न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर०ए०एस०

राजस्व अपील संख्या – 05/2024
जीसीएमएस सख्या – 2024/10

अपीलान्ट :–

1. सवाईराम पुत्र केसाराम
2. मांगीलाल पुत्र गोमाराम
3. टेलाराम पुत्र गोमाराम
4. अमलखराम पुत्र सताराम
5. खिंवराराम पुत्र सताराम
6. अनोपाराम पुत्र सताराम
7. तुलछीदेवी पत्नी गोमाराम फौत (डिलीट आदेश दिनांक 10.12.2024)

जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम गंगानगर (लुम्बानसर), तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. पेम्पों पत्नी मंगलाराम फौत (डिलीट आदेश दिनांक 10.12.2024)
2. देवाराम पुत्र मंगलाराम के कायम मुकाम :–
   - 2/1. स्वरूपाराम पुत्र देवाराम
   - 2/2. आईदानराम पुत्र देवाराम (नाबालिग जरिए कुदरती वली माता धनीदेवी पत्नी देवाराम)
   - 2/3. धनीदेवी पत्नी देवाराम

     सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण ग्राम गंगानगर (लुम्बानसर), तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
   - 2/4. ज्योति पत्नी नेमाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सेखाला, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
   - 2/5. तारों पत्नी ढलाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सेखाला, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
   - 2/6. रसाल पत्नी पुरखाराम, जाति मेघवाल, निवासी कुई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
   - 2/7. जमना पत्नी भोमाराम, जाति मेघवाल, निवासी बिराई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
3. मोडाराम पुत्र मंगलाराम
4. नरूराम पुत्र मंगलाराम

   जातियान् मेघवाल, निवासीगण ग्राम गंगानगर (लुम्बानसर), तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शेरगढ़, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:29 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 138 ग्राम लुम्बानसर पटवार हल्का सुवालिया जिसे तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा दिनांक 07.07.2008 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी व पुष्पेन्द्र सिंह भाटी (अपीलान्ट्स की ओर से)।
2. अधिवक्ता पी0 आर0 मेघवाल (रेस्पो0 संख्या 2/1 से 4 की ओर से)।

आदेश **दिनांक : 27.02.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा ग्राम लुम्बानसर के नामान्तरकरण संख्या 138 पर पारित आदेश दिनांक 07.07.2008 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 04.08.2020 को पेश की गई। अपील के साथ अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु म्याद अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया गया है।
2. अपील के संक्षिप्त सारवान तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स व प्रत्यर्थी द्वारा ग्राम लुम्बानसर की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 851 व 1310 के विभाजन हेतु एक प्रार्थना–पत्र राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 53(2) के तहत तहसीलदार शेरगढ़ के न्यायालय में दिनांक 15.05.2008 को पेश किया तथा प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि का आपसी सहमति से विभाजन का इकरारनामा भी मय नक्शा विभाजन पेश किया, जिस पर तहसीलदार ने जांच कर आदेश क्रंमाक:LR1590/2008 दिनांक 31.5.2008 से इकरारनामा में अंकित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर रिकॉर्ड में अमल–दरामद करने का आदेश पारित किया, जिसकी पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 138 ग्राम लुम्बानसर खोला जाकर बाद जांच दिनांक 07.07.2008 को तहसीलदार शेरगढ़ ने स्वीकार किया है, जिससे व्यथित होकर 17 वर्ष बाद यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.08.2020 को पेश की गई है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।
4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस गई, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया व दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने के बाद हमारा विवेचन इस प्रकार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:29 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(A) नामान्तरकरण की प्रक्रिया भू–अभिलेखो को अद्यतन रखने के लिए अपनाई जाने वाली एक सतत् प्रक्रिया है, जिस बाबत् राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 119 से 148 तक में दी गई है। नामान्तरकरण मात्र से किसी व्यक्ति को कोई स्वामित्व या अधिकार अथवा हित प्राप्त नहीं हो सकता। यह कार्यवाही केवल सरसरी जांच के आधार पर रिकॉर्ड में परिवर्तन करने तक सीमित है। उक्त नियमावली के नियम–129 में आराजी के विभाजन के मामलों में अंतिम आज्ञाये तभी दर्ज की जायेगी जबकि विभाजन की स्वीकृति दी जाये एवं आज्ञायें क्रियान्वित की जाये। ऐसे तथ्य अन्य नामान्तरकरण के समान ही किये जायेगे। इसी प्रकार न्यायालयों की आज्ञा, उत्तराधिकार, दान, विक्रय, वसीयत या बन्धक द्वारा अन्तरण की दशा में नामान्तरकरण की कार्यवाही की जाती है, ताकि काश्तकारों का अधिकार अभिलेख अद्यतन रहे।

(B) उक्त विधिक स्थिति के सन्दर्भ में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 138 पर पारित आदेश दिनांक 07.07.2008, न्यायालय तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा उक्त पैरा 2 में दिए गए विवरण अनुसार पारित विभाजन आदेश क्रमांक/LR/1590 दिनांक 31.5.2008 की पालना में खोला जाकर बाद जांच स्वीकार किया जाकर, आदेशानुसार रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया है तथा जिस आदेश क्रमांक/LR/1590 दिनांक 31.5.2008 की पालना में यह नामान्तरकरण स्वीकार किया है, जब तक यह आदेश दिनांक 31.05.2008 सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया जाता, तब तक नामान्तरकरण संख्या 138 व उस पर पारित आदेश दिनांक 07.07.2008 को अपास्त नहीं किया जा सकता।

(C) प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि पक्षकारों के मध्य खसरा नम्बर 794, 834, 851 व 1310 की आराजी के विभाजन हेतु तहसीलदार शेरगढ़ ने विभाजन के दो आदेश क्रमांक 1589 व 1590 दिनांक 31.5.2008 पारित किए, जिनकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 137 व 138 खोले जाकर आदेश दिनांक 07.07.2008 से स्वीकृत किए गए है तथा बंटवारा आदेश दिनांक 31.05.2008 अनुसार रिकॉर्ड में अमल–दरामद हो चुका है। अपीलान्ट ने बंटवारा आदेश क्रमांक 1589 दिनांक 31.05.2008 के विरूद्ध एक अपील संख्या 06/2024 तथा आदेश क्रमांक 1590 दिनांक 31.05.2008 के विरूद्ध अपील संख्या 08/2024 इसी न्यायालय में दिनांक 04.08.2020 को पेश कर बंटवारा अपास्त करने की प्रार्थना की है। अतः जब तक मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:29 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बंटवारा आदेश क्रमांक 1589 व 1590 दिनांक 31.05.2008 इस न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किए जाते, तब तक नामान्तरकरण संख्या 137 व 138 पर पारित आदेश व उसके परिणामस्वरूप किए गए इन्द्राजों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।

(D) यह न्यायालय प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों एवं विधिक प्रावधानों से पूर्णतः सहमत है।

अपीलान्ट्स ने न्यायालय तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा पारित आदेश क्रमांकः LRसंख्या –1590 दिनांक 31.5.2008 के विरूद्ध एक अपील संख्या 08/2024 इस न्यायालय में आदेश को अपास्त करने बाबत् पेश की थी, जिसे इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.02.2025 से अपील अपीलान्ट खारिज कर दी है तथा न्यायालय शेरगढ़ द्वारा पारित बंटवारा आदेश क्रमांकः 1590 दिनांक 31.05.2008 को यथावत रखा है। परिणामस्वरूप आदेश क्रमांक 1590 दिनांक 31.05.2008 की पालना में भरा गया व स्वीकृत किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 07.07.2008 को भी यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार योग्य है अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार शेरगढ़ को लौटाया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 27.02.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:29 IST
Reason: SelfAttested